



# उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपकरण)

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

संख्या 780 -काविनी एवं वे०प्र०-२९ / पाकालि / 2012 -६ काविनी एवं वे०प्र० / 2008 दिनांक 11 अक्टूबर, 2012

समस्त मुख्य अभियंता, (स्तर-I एवं II),  
समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक,  
समस्त अधीक्षण अभियंता,  
समस्त उप महाप्रबन्धक,  
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

**विषय:-** उ०प्र० पावर कारपोरेशन के समस्त पूर्णकालिक अधिकारी / अधिकारिकों, जो दिनांक 01.01.96 से प्रभावी वेतनमानों में वेतन आहरित कर रहे हैं अथवा जिन्होंने दिनांक 01.01.06 से पुनरीक्षित वेतन संरचना का चयन नहीं किया है, को दिनांक 01 जनवरी, 2012 से महंगाई भत्ते का, बढ़ी हुई दर पर भुगतान।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कारपोरेशन के आदेश संख्या 109-काविनी एवं वे०प्र०-२९/पाकालि/10-०६ काविनी एवं वे०प्र०/०८ दिनांक 08 फरवरी, 2012 एवं 71-वे०प्र०-३०/पाकालि/06-८वे०प्र०-३०/०६ दिनांक 27 फरवरी, 2006 वे०प्र०/०८ दिनांक 08 फरवरी, 2012 एवं 71-वे०प्र०-३०/पाकालि/06-८वे०प्र०-३०/०६ दिनांक 27 फरवरी, 2006 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ०प्र० पावर कारपोरेशन के ऐसे समस्त पूर्णकालिक नियमित अधिकारी/अधिकारिक, जो किन्हीं कारणोंवश दिनांक 01.01.1996 से प्रभावी वेतनमानों में वेतन आहरित कर रहे हैं अथवा जिन्होंने दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना का चयन नहीं किया है अथवा जिनके वेतनमान अथवा जिन्होंने दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित नहीं हुए हैं, को दिनांक 01 जनवरी, 2012 से निमानुसार संशोधित दर पर महंगाई भत्ते का भुगतान अनुमन्य होगा :-

तिथि जब से देया है	महंगाई भत्ते की मासिक दर
01 जनवरी, 2012	मूल वेतन एवं महंगाई वेतन के योग का 139 प्रतिशत

2. इस आदेश द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 410-वे०प्र०(30)/पाकालि/00-१४वे०प्र०(30)/०० दिनांक 23.08.2000 के प्रस्तर 2, 6, 7 एवं 8 में उल्लिखित प्राविधान यथावत लागू रहेंगे।

3. महंगाई भत्ते को एक तरह का विशिष्ट घटक ही माना जायेगा तथा वित्तीय नियम - 9 (21) के अन्तर्गत 'वेतन' नहीं माना जायेगा।

4. इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ता उन कार्मिकों को भी, जो प्रभावी तिथि को सेवारत थे, किन्तु इस आदेश के जारी होने के पूर्व जिनकी सेवायें चाहे जिन कारणों से यथा अनुशासनिक कारणों से या त्याग-पत्र, सेवा-निवृत्त, मृत्यु या सेवा-मुक्त करने या स्वीकृत पदों की समाप्ति के कारण समाप्त हो गई हों, सेवा-समाप्ति, सेवा निवृत्ति आदि की तिथि तक अनुमन्य होगा।

5. इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते की देय धनराशि को निकटतम एक रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा और अर्थात् पचास पैसे और उससे अधिक को उच्चतर रूपये पर पूर्णांकित किया जायेगा और पचास पैसे से कम की राशि को छोड़ दिया जायेगा।

6. उक्त आदेश द्वारा स्वीकृत संशोधित दर पर महंगाई भत्ते की दिनांक 01 जनवरी, 2012 से दिनांक 31 जुलाई, 2012 तक की देय अवशेष धनराशि अधिकारी/कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में अवशेष धनराशि पर देय


(क्रमांक:.....)

आयकर एवं सरचार्ज की कटौती की सुविधा के अधीन जमा की जायेगी और इस प्रकार जगा धनराशि को भविष्य निधि खाते में दिनांक 01 अगस्त, 2012 से जमा माना जायेगा और इस तिथि से उक्त धनराशि पर ब्याज भविष्य निधि पर लागू दर से देय होगा। इस प्रकार भविष्य निधि खाते में जमा की गई अवशेष धनराशि दिनांक 31 जुलाई, 2013 तक सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के खाते में जमा रहेगी और इसे उन मामलों को छोड़कर, जिनमें भविष्य निधि नियमों के अन्तर्गत अन्तिम प्रत्याहरण (*Final Withdrawal*) देय हो जाय, उक्त तिथि से पूर्व नहीं निकाला जा सकेगा। इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान, दिनांक 01 सितम्बर, 2012 (माह अगस्त, 2012 का भुगतान दिनांक 01 सितम्बर, 2012 को देय) से नकद किया जायेगा। ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिनका भविष्य निधि खाता न खुला हो, उनको देय अवशेष नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एन०एस०सी०) के रूप में दिया जायेगा, परन्तु धनराशि के जिस अंश का सर्टिफिकेट उपलब्ध न हो, वह उसे नकद दी जायेगी।

7. जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवायें इस आदेश के जारी होने की तिथि से पूर्व समाप्त हो गई हों अथवा जो अधिकारी/कर्मचारी अधिवर्षता की आयु प्राप्त कर दिनांक 01 जनवरी, 2012 से आदेश निर्गत होने की तिथि तक सेवानिवृत्त हो गये हों अथवा 06 माह के अन्दर सेवानिवृत्त होने वाले हों, उनको देय मंहगाई भत्ते के बकाये की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नकद किया जायेगा।

8. उक्त आदेशानुसार स्वीकृत बड़े हुए मंहगाई भत्ते की धनराशि के आहरण हेतु उप महाप्रबन्धक (लेखा)/ (लागत) द्वारा प्राधिकार-पत्र अलग से निर्गत करने की आवश्यकता नहीं है।

अवदीय,

  
(राम विश्वाल पाण्डेय)

अपर सचिव (प्रथम)  


सं० 780 – (1) काविनी एवं वै०प्र०-२९ / पाकालि / 2012 – तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ के निजी सचिव।
3. अध्यक्ष, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०/उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लखनऊ के प्रमुख निजी सचिव।
5. प्रबन्ध निदेशक, केरको, कानपुर/पूर्वाचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ/मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा।
6. समरत निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ।
7. अपर पुलिस नहानिदेशक, उ०प्र० पांकांलि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ०प्र० पांकांलि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. अव्यक्त विद्युत सेवा आयोग, बी-१७, जै० रोड, महानगर, उ०प्र० पांकांलि०, लखनऊ।
10. समरत अधिकारी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
11. समरत उप मुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
12. अनु सचिव (स०प्र०-लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ।
13. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), केन्द्रीय लेखा कार्यालय, उ०प्र० पांकांलि०, लखनऊ।
14. समरत अधिकारी, कारपोरेशन मुख्यालय, शक्ति भवन, लखनऊ।
15. अधिकारी अभियन्ता (वेब), कक्ष स०-४०७, शक्ति भवन, लखनऊ को उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० की वेबसाइट, [www.uppcl.org](http://www.uppcl.org) पर अपलोड करने हेतु।

आग्ना से,

  
(सुबोद्ध कुमार स्वरे)

अनु सचिव (कांविंनी०)

